न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या:– 05/2011 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर (लैण्ड होल्डर)

.....प्रार्थी

बनाम

1. सोहनपाल पुत्र ग्यासिया ब्राहमण
1/1 रूपचन्द पुत्र सोहनपाल ब्रामहण
1/2 रमेशचन्द पुत्र सोहनपाल ब्राहमण
1/3 महेशचन्द पुत्र सोहनपाल ब्राहमण
1/4 सौमोती पुत्री सोहनपाल पत्नी रघुनाथ ब्रा0 नि0 महोसी तहसील मथुरा (उ0प्र0)
1/5 श्रीमति पुत्री सोहनपाल पत्नी सियाराम ब्रा0 नि0 महोसील मथुरा (उ0प्र0)
1/6 हरदेई पुत्री सोहनपाल पत्नी पन्नालाल ब्रा0 नि0 भडागांव तह0 छाता जि.मथुरा उ0प्र
1/7 विरमा पुत्री सोहनपाल पत्नी रमनलाल ब्रा0 नि0 भडागांव तह0 छाता जि.मथुरा उ0प्र0
1/8 किरन पुत्री सोहनपाल पत्नी जगदीश गांव भंवर तह0 इंगलास अलीगढ
2. सफेदी पत्नी स्व0 रघुवीर कौम जोगी सा0 कुरवारा तहसील कुम्हेर।
3. हेमलता पत्नी उदयभान जाति ब्राहमण निवासी ऐचेरा तहसील नदबई।

.....अप्रार्थीगण

रैफरेंस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 निरस्त करने नामान्तरकरण संख्या 122, 215 आराजी खसरा नम्बर 1184 रकवा 5 वीघा 18 विस्वा किस्म वारानी माफी मंदिर श्री गोपाल जी महाराज वाकै ग्राम कुरवारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

उपस्थित :

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

1. राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री नीरपालसिंह वकील अप्रार्थी0

निर्णय

दिनांक : 24.02.2021

प्रार्थी तहसीलदार द्वारा द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी0 के हक में नियमन/आवंटन विधिविरूद्ध होने के कारण आराजी खसरा नम्बर 1184 रकबा 5 वीघा 19 विस्वा किस्म वारानी माफी मंदिर गोपाल जी दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तरकरण संख्या 122 व 215 वगैरह को निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि को पूर्व की भांति माफी मंदिर श्री गोपाल जी में दर्ज किये जाने के प्रस्ताव राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जावे।

रैफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी0 की वहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि मुताविक जमाबन्दी सम्बत 2013–2016 खसरा नम्बर 1184 रकबा 5 वीघा 19 विस्वा किस्म वारानी माफी मंदिर श्री गोपाल जी व काश्त सोहनपाल पुत्र ग्यासिया कौम ब्राहमण साकिन ऐचरा तहसील नदवई शिकमी दर्ज है। जमाबन्दी सम्बत 2013–2016 के पश्चात वर्णित भूमि के हिस्से 1/2 प्यारेलाल पुत्र कुन्दन सा.देह खातेदार दर्ज हो गया तथा शेष 1/2 पर सोहनपाल पुत्र ग्यारिया शिकमी दर्ज रह गया। नामान्तरण संख्या 122 द्वारा सोहनपाल पुत्र ग्यासिया तथा नामान्तरकरण संख्या 215 द्वारा प्यारे पुत्र कुन्दन को खोतदार दर्ज कर लिया गया जो नियम विरूद्ध है। खातेदार प्यारे पुत्र कुन्दन द्वारा उक्त भूमि को नामान्तरकरण संख्या 216 से जरिये वयनामा गिर्राज पुत्र टुण्डा 1/4 हिस्सा नन्नू पुत्र मोहरसिह 1/4 हिस्सा का बेचान कर दिया शेष 1/2 भाग पर सोहनपाल पुत्र ग्यासिया कौम ब्राहमण वदस्तूर इन्द्राज रह गया है। सोहनपाल पुत्र ग्यासिया के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 166 द्वारा उनके वारिसान के नाम दर्ज हुये है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर नियमों के विरूद्ध राजस्व रिकार्ड मे परभाती खातेदार दर्ज किया हुआ है। रेफरेन्स में कोई म्याद नहीं होती है। अतः नामान्तरकरण 122 व 215 में खातेदारी इन्द्राजात को कलमजन कराये जाने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर (राज.)

एवं विवादित आराजी पूर्व की भांति माफी मंदिर श्री गोपाल जी दर्ज कराये जाने हेतु प्रकरण रैफरेस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर प्रेषित किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने तर्को में जाहिर किया कि तहसीलदार कुम्हेर द्वारा गलत रूप से रैफरेंस पेश किया गया है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी काफी समय से काश्त करता चला आ रहा है इसी लिये अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। योग्य अभिभाषक ने यह भी बताया कि विवादित आराजी का तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। तहसीलदार द्वारा 60 साल बाद नामान्तरकरण को चैलेज किया गया है जो गलत एवं म्याद बाहर है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने यह भी जाहिर किया कि जमाबन्दी संवत 2009–2010 में भूमि मदिर के नाम नहीं थी। तहसीलदार द्वारा गलत रिकार्ड प्रस्तुत कर नामान्तरकण को निरस्त कराना चाहते जो गलत है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन मे आर.आर.टी. 2013(1) पेज 420, आर.आर.टी. 2014–15 पेज 138, आर. आर.टी. 2011–12 पेज 660 एवं आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1121 उद्वरित करते हुये रैफरेस प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। प्रस्तुत रैफरेस आराजी खसरा नम्बर 1184 रकवा 5 वीघा 18 विस्वा जो कि माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज थी जिसे जरिये नामान्तरकरण संख्या 122 के द्वारा सोहनलाल पुत्र ग्यारिसा कौम ब्राहमण को शिकमी से गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 215 के द्वारा प्यारे पुत्र कुन्दन कौम ब्राहमण साकिन ऐचेरा तहसील नदबई गैरखातेदार दर्ज है एवं इसके बाद मृतक सोहनपाल के नामान्तरण संख्या 166 दिनांक 26.06.1998 अप्रार्थीगण के नाम विरासतन दर्ज हुये है, को कलमजन किये जाने एवं विवादित आराजी को पुनः राजस्व रिकार्ड में माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत की गई कानूनी नजीरों का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक का यह कहना कि संवत 2009–10 में विवादित आराजी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज नहीं थी एवं प्रस्तुत रैफरेस गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2013–2016 ग्राम कुरवारा आराजी खसरा नम्बर 1184 रकवा 5 वीघा 18 विस्वा के कॉलम संख्या 4 में शामलात थोक पून्या एवं कॉलम संख्या 5 कृषक विवरण में माफी मदिर गोपाल जी महाराज बकाश्त सोनपाल पुत्र ग्यारिसा कौम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

ब्राहमण साकिन ऐचेरा तहसील नदबई शिकमी दर्ज रिकार्ड है। प्रश्नगत नामान्तरकरण 122 के कॉलम सं0 5 में सोहनलाल बल्द ग्यासिया कौम ब्राहमण साकिन ऐचेरा तहसील गैर खातेदार एवं कॉलम संख्या 11 में सोहनलाल बल्द ग्यारसा कौम ब्राहमण साकिन ऐचेरा तहसील नदबई खातेदार दर्ज है एवं विशिष्ट वाले कॉलम में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 19 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाना स्पष्ट है। उपर्युक्त इन्द्राजों से आराजी खसरा नम्बर 1184 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा का माफी मंदिर की भूमि होना स्पष्ट है। माफी मंदिर की भूमियां जागीरदार पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 द्वारा राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गई एवं मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त की भूमियां मंदिर मूर्ति के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई। इस सम्बन्ध में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 व 10 में प्रावधान अंकित है:–

> धारा–9 "जागीर भूमियों के खातेदारी अधिकार– जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को, जो इस अधिनियिम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में, जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी आनुवंशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।"
>
> धारा–10 "खुदकाश्त भूमि में खातेदारी अधिकार– किसी जागीर भूमि के पुनर्ग्रहण की तारीख से किसी जागीरदार की कोई भी खुदकाश्त भूमि जागीरदार द्वारा एक खातेदार काश्तकार के रूप में धारित की गई समझी जायेगी, और उस गांव की दर पर उसके सम्बन्ध में निर्धारित किया जायेगा।"

हस्तगत प्रकरण में वाद ग्रस्त आराजी मंदिर माफी की खुदकाश्त भूमि दर्ज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण बतौर शिकमी दर्ज थे, अतः वे धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी प्राप्त करने के हकदार है। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने के समय संवत 2009–10 में विवादित भूमि माफी मंदिर श्री गोपाल जी खुदकाश्त दर्ज थी। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र स.प. 3(2)राज. 6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी पत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

कमांकःराम/प. 63/न्याय/ स्था/ 05/636–689 दिनांक 06.01.2011 के द्वारा संदर्भ करते हुये जारी किया है किः–

> "जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार–जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें अन्तर्हित हो उन काश्तकार को काश्तकारी में अनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। जागीरो के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज थी, उनमें उन काश्तकारों को उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिर के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।"

धारा 9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनियम के प्रारम्भ के समय से राजस्व रिकार्ड में काश्तकार के रूप में दर्ज व्यक्ति खातेदारी होने के अधिकारी है। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा सम्बत 2013–2016 की जमाबन्दी के आधार पर ही रैफरेंस प्रस्तुत किया है जबकि धारा 9 अनुसार वक्त जागीरदारी पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने के समय की अर्थात 2009–2010 के राजस्व रिकार्ड की स्थिति देखी जानी है। वक्त अधिनियम के लागू होने के समय राजस्व रिकार्ड की स्थिति का परीक्षण किये बिना ही तहसीलदार कुम्हेर ने रैफरेंस प्रस्तुत किया है। मात्र सम्बत 2013–2016 की जमाबन्दी के आधार पर रैफरेस स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उक्त न्यायिक संदर्भो, अधिनियम 1955 की धारा 19, जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 की धारा 9 व 10 एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र स.प.3(2)राज. 6/2007/14 दिनांक 24.07.2007 व राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र कमांक/ राम/प. 63/न्याय/स्था/ 05/636–689 दिनांक 06.01.2011 को ध्यान में रखते हुये रैफरेस सारहीन होने से काबिल खारिजी के है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार कुम्हेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे जांच करे कि क्या विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2009–2010 में जमीन मंदिर श्री गोपाल जी के नाम खुदकाश्त दर्ज थी तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 एवं राजस्व मण्डल अजमेर के परिपत्र दिनांक 06.01.2011 के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण कर यदि विवादित आराजी मंदिर माफी खुदकाश्त दर्ज पाई जाये तो ही पुनः रैफरेंस प्रस्तुत किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)